संख्या-2 /2022/ 168 /क.नि.प्र./26-3-2022-18(64)/98

प्रेषक,

डा0 रमेश चन्द्र तिवारी,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आहरण एवं वितरण अधिकारी,
समाज कल्याण विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ लखनऊःदिनांकः 09 मार्च,2022
समाज कल्याण विभाग

विषयः- सचिवालय स्तर पर गठित कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ के अधिष्ठान मद में पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि की व्यवस्था किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-17/2021/385/क.नि.प्र./26-3-2021-18(64)/98 दिनांक 16 अप्रैल, 2021 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2021-2022 में अनुदान संख्या-83-समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) लेखाशीर्षक-"2225-अनुसूचित जातियों,अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो का कल्याण- 01-अनुसूचित जातियों का कल्याण-789- अनूसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-01-केन्द्र प्रयोजित योजनाएं-0109-सचिवालय स्तरीय अधिष्ठान(के.100/रा.0-के.)-15-गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद में रू0 2,00,000/- (रू0 दो लाख मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने हेतु आपके निर्बतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) वित्त आय-व्ययक अनुभाग-01 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 22 मार्च , 2021 में दिये गये दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
(2) अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकता एवं नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को बैंक खाते आदि में नहीं रखा जायेगा।
(3) स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी मद में किया जायेगा जिस मद हेतु धनराशि की व्यवस्था की गयी है।
(4) जिस मद में धनराशि सक्रंमित की जा रही है उस मद में चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की मांग नहीं की जायेगी।
(5) धनराशि का व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों के अन्तर्गत किया जायेगा।

2- उक्त के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021-2022 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-83-समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) लेखाशीर्षक-"2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो का कल्याण-01-अनुसूचित जातियों का कल्याण-789-अनूसूचित जातियों के लिए विशेष घटक

योजना-01-केन्द्र प्रयोजित योजनाएं-0109-सचिवालय स्तरीय अधिष्ठान (के.100/रा.0-के.) -15-गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद के नामें डाला जायेगा तथा संलग्न प्रपत्र बी0एम0-9 (पार्ट-1) के स्तम्भ-1 में अंकित लेखाशीर्षक की मानक मद 18-प्रकाशन में प्राविधानित धनराशि के अन्तर्गत होने वाले बचतों से पुनर्विनियोजन के माध्यम से वहन किया जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

संलग्नकः- यथोक्त।

भवदीय,

डा0 रमेश चन्द्र तिवारी
अनु सचिव।

संख्या-2 /2022/ 168 (1)/क.नि.प्र./26-3-2022 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, लेखा प्रथम/आडिट प्रथम, उ0प्र0,प्रयागराज।
2- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3- आहरण एवं वितरण अधिकारी, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन।
4- अनुभाग अधिकारी (लेखा), समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन।
5- वित्त(वित्त नियंन्त्रण) अनुभाग-4 उ0प्र0 शासन।
6- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 (दो प्रतियों में)
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

डा0 रमेश चन्द्र तिवारी
अनु सचिव।

प्रपत्र–बी0एम0–9(पार्ट–1)
पुर्नविनियोग के लिए आवेदन/स्वीकृति
(सन्दर्भ– बजट मैनुअल का प्रस्तर–156)

अनुदान संख्या– व नाम– 83 व अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना (समाज कल्याण विभाग) वित्तीय वर्ष 2021–22 (धनराशि लाख रूपये में)

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संकमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा	
लेखाशीर्षक	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान/विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संकमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संकमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संकमण के पश्चात् अवशेष अनुदान/विनियोग (2–5)
1	2	3	4	5	6
"2225– अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण–01–अनुसूचित जातियों का कल्याण–789– अनूसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना–01–केन्द्र प्रायोजित योजनाएं–0109–सचिवालय स्तरीय अधिष्ठान (के.100/रा.0–के.)					
–15–प्रकाशन–	2.50	2.50	2.50	2.00	0.50
–58–आउटसोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान–	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00
योग	3.50	3.50	3.50	2.00	1.50

निम्नलिखित निधियों में प्रस्तावित संकमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा	
लेखाशीर्षक	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध अनुदान/विनियोग	वित्तीय वर्ष में प्रत्याशित कुल व्यय	संकमण हेतु प्रस्तावित धनराशि (9–8)	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संकमण की धनराशि	संकमण के पश्चात् उपलब्ध अनुदान/विनियोग (8+11)
7	8	9	10	11	12
"2225– अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण–01–अनुसूचित जातियों का कल्याण–789– अनूसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना–01–केन्द्र प्रायोजित योजनाएं–0109–सचिवालय स्तरीय अधिष्ठान (के.100/रा.0–के.)–15–गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	3.35	6.85	3.50	2.00	5.35
योग	3.35	6.85	3.50	2.00	5.35

1.स्तम्भ–3 में उपलब्ध बचत का कारण निम्नानुसार है– स्तम्भ–1 में उल्लिखित लेखाशीर्षक की मानक मद में बचत संख्या–आरएई0–451/दस–2022 दि0 04-03-22 वास्तविक आवश्यकता के अनुसार है।

2.स्तम्भ–9 में उल्लिखित उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ–9 में अंकित व्यय निम्नलिखित कारणों से है–
दो विभागीय वाहनों के संचालन हेतु उपलब्ध अनुदान की धनराशि अल्प होने के कलस्वरूप।

3. प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोजन में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर–150,151,154 व 155 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

सेवा में,
महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

(राज राम)
विशेष सचिव
समाज कल्याण विभाग।

Signed by फूल चन्द यादव
Date: 04-03-2022 13:06:0
Reason: Approved
अनु सचिव,
वित्त विभाग।

Scanned with CamScanner